विवरणिका 2022–23

बर्फिया लाल जुवांठा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail : gdcpurola@gmail.com   Web. : www.gdcpurola.ac.in

आवेदन पत्र सहित मूल्य ₹ 50/-

नोट:- महाविद्यालय परिसर में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।

शैक्षणिक कैलेण्डर 2022-23 (Academic Calendar 2022-23)

1. प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि	30 जुलाई, 2022 तक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं (प्रथम सैमेस्टर) में प्रवेश	
2. बी0ए0/बी0एस0सी0/ बी0कॉम0 प्रथम वर्ष/प्रथम सैमेस्टर में प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि	16 अगस्त, 2022 तक
3. शैक्षिक सत्र प्रारम्भ की तिथि	17 अगस्त, 2022
बी0ए0/बी0एस0सी/बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष (वार्षिक पाठ्यक्रम)/तृतीय, पंचम एवं सप्तम सैमेस्टर और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की तिथि	
1. प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 07 दिनों के अन्तर्गत
2. प्रवेश शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	प्रवेश आवेदन जमा करने के 03 दिनों के अन्तर्गत
3. वार्षिक कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि (ऑनलाईन/ऑफ लाईन एवं मिश्रित मोड)	01 सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ
4. सैमेस्टर कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारम्भ तिथि (ऑनलाईन/ऑफ लाईन एवं मिश्रित मोड)	20 सितम्बर, 2022 से प्रारम्भ
सैमेस्टर पाठ्यक्रम	
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित प्रथम सैमेस्टर	
1. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि	01 सितम्बर, 2022 से 20 सितम्बर, 2022 तक
2. विलम्ब शुल्क रू 500/- सहित जमा करने की अन्तिम तिथि	30 सितम्बर, 2022
3. विषम सैमेस्टर पाठ्यक्रम अध्यापन अवधि	17 अगस्त, 2022 से 20 दिसम्बर, 2022 तक
4. परीक्षा तिथि	01 दिसम्बर, 2022 से 20 दिसम्बर, 2022 तक
5. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि	05 अक्टूबर, 2022 तक
6. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि	10 अक्टूबर, 2022 तक
शेष विषम सैमेस्टर (तृतीय, पंचम एवं सप्तम)	
1. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि	01 नवम्बर, 2022 से 15 नवम्बर, 2022 तक
2. विलम्ब शुल्क रू 500/- सहित जमा करने की अन्तिम तिथि	20 नवम्बर, 2022
3. विषम सैमेस्टर पाठ्यक्रम अध्यापन अवधि	20 सितम्बर, 2022 से 30 दिसम्बर, 2022 तक
4. परीक्षा तिथि	05 जनवरी, 2022 से 30 जनवरी, 2022 तक
5. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि	25 नवम्बर, 2022 तक
6. महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि	30 नवम्बर, 2022 तक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित सम सैमेस्टर	
1. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि	05 मार्च, 2023 से 20 मार्च, 2023 तक
2. विलम्ब शुल्क रू 500/- सहित जमा करने की अन्तिम तिथि	25 मार्च, 2023 तक
3. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि	30 मार्च, 2023 तक
4. महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि	05 अप्रैल, 2023 तक
5. सम सैमेस्टर पाठ्यक्रम अध्यापन अवधि	01 फरवरी, 2023 से 13 मई, 2023 तक
6. परीक्षा तिथि	15 मई, 2023 से 05 जून, 2023 तक
अन्य सम सैमेस्टर (चतुर्थ, षष्टम व अष्टम)	
1. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि	20 मार्च, 2023 से 05 अप्रैल, 2023 तक
2. विलम्ब शुल्क रू 500/- सहित जमा करने की अन्तिम तिथि	15 अप्रैल, 2023 तक
3. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि	20 अप्रैल, 2023 तक
4. महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय को प्रेषण की तिथि	20 अप्रैल, 2023 तक
5. सम सैमेस्टर पाठ्यक्रम अवधि	01 फरवरी, 2023 से 30 अप्रैल, 2023
6. परीक्षा तिथि	01 मई, 2023 से 25 मई, 2023 तक
वार्षिक परीक्षा 2022-23	
1. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि	01 मार्च, 2023 से 30 अप्रैल, 2023
2. विलम्ब शुल्क रू 500.00 सहित जमा करने की अंतिम तिथि	25 मार्च, 2023
3. महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) जमा करने की अंतिम तिथि	30 मार्च, 2023 तक
4. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	05 अप्रैल, 2023 तक
5. परीक्षा तिथि	10 अप्रैल, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक
प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा	
1. विषम सैमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा प्रारम्भ तिथि	01 दिसम्बर, 2023
2. सम सैमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा प्रारम्भ तिथि	01 अप्रैल 2023
वार्षिक अवकाश तथा कार्य दिवसों का विवरण-	
1. रविवार	54 दिन
2. सार्वजनिक/निर्बन्धित/स्थानीय/विवेकाधीन अवकाश	23 दिन
3. शीतकालीन अवकाश	उत्तराखण्ड सरकार/शासन के निर्देशानुसार
4. ग्रीष्मकालीन अवकाश	तदैव
5. विश्वविद्यालय स्थापना दिवस	04 नवम्बर, 2023
6. श्रीदेव सुमन जन्म दिवस	25 मई, 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार/शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक कलैण्डर में परिवर्तन किया जा सकता है।

बर्फियालाल जुवांठा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)

संक्षिप्त परिचय

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में अवस्थित बर्फियालाल जुवांठा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी) की स्थापना 6 अक्टूबर 1993 को हुई थी। हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान तथा जन्तु विज्ञान के विषयों की कक्षाएँ प्रारम्भ हुई।

वर्ष 2012-13 में कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेज़ी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा शिक्षाशास्त्र विषयों में शासन द्वारा संचालन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र 2012-13 से ही छात्र-छात्राओं के प्रवेश के साथ ही कला संकाय की कक्षाएँ विधिवत् रूप से प्रारम्भ हुईं। सत्र 2018-19 से महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल की सम्बद्धता प्राप्त हो गई है।

सम्प्रति महाविद्यालय में प्राचार्य सहित प्राध्यापकों के 20 पद स्वीकृत हैं तथा लगभग 683 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय में शिक्षण हेतु एडूसेट की भी व्यवस्था है। शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु अनेकों शिक्षणेत्तर कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। पठन-पाठन के लिए महाविद्यालय एक आदर्श वातावरण तैयार करने हेतु कृत संकल्प है। हमारे महाविद्यालय की मूल सम्पदा हमारे विद्यार्थी हैं, इनके उन्नत व्यक्तित्त्व के निर्माण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आह्वान करते हैं कि इस अमूल्य सम्पदा का हम तन-मन-धन से संरक्षण करें, जिससे कि भावी समाज और राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास हो।

उत्तराखण्ड शासन/श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा जारी प्रवेश नियमों/संशोधनों एवं आदेशों को प्रभावी माना जाएगा

1. अध्ययन विषय एवं पाठ्यक्रम

(i) विज्ञान संकाय

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर निम्नलिखित पाँच विषयों की सुविधा उपलब्ध है-

1. रसायन विज्ञान
2. भौतिक विज्ञान
3. गणित
4. वनस्पति विज्ञान
5. जन्तु विज्ञान

(ii) कला संकाय

कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर निम्न सात विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है-

1. हिन्दी
3. अंग्रेज़ी
3. राजनीति शास्त्र
4. समाजशास्त्र
5. अर्थशास्त्र
6. शिक्षाशास्त्र
7. इतिहास

(iii) स्नातकोत्तर (विज्ञान संकाय)

विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित तीन विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है-

1. रसायन विज्ञान
2. जन्तु विज्ञान
3. वनस्पति विज्ञान

(iv) स्नातकोत्तर (कला संकाय)

कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित दो विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है-

1. हिन्दी
2. अंग्रेज़ी

2. सम्बद्धता

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक यू.ओ.सं.-02/XXIV(7)/2017 उच्च शिक्षा अनुभाग- देहरादून दिनांक 10 अगस्त, 2019 तथा निदेशक उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/38-40/2018-19 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा महाविद्यालय को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त। श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस राजकीय महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय एवं कला संकाय में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं।

विज्ञान संकाय/कला संकाय

महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा और अनुशासन हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं।

3. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सामान्य नियम एवं निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र (विवरणिका सहित) निर्धारित शुल्क देने पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सभी प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात् आवेदन-पत्र को निर्धारित तिथि तक पंजीकरण शुल्क के साथ महाविद्यालय में निर्दिष्ट स्थान पर जमा करेंगे। संलग्न के अभाव में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाहियों की जानकारी हेतु महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखते रहें।
2. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों को अवश्य संलग्न करें। प्रमाण-पत्रों के अभाव में आवेदन पर विचार सम्भव नहीं होगा।
   (अ) प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र तथा व्यक्तिगत रूप में रह चुके अभ्यर्थी के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
   (ब) विगत समस्त परीक्षाओं के अंक-पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा इन सभी के मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने होंगे ताकि अंक-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों का सत्यापन किया जा सके।
   (स) आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
   (द) पासपोर्ट आकार के नवीनतम तीन रंगीन फोटो।
   (य) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ ही मान्य होगा तथा इसी के आधार पर वे उक्त जातियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
   (र) खेलकूद तथा अन्य पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, एम.एस.सी./एम.ए. तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ विगत् परीक्षा के अंक-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के नवीनतम तीन फोटो आवश्यक हैं।
4. प्रवेश आवेदन-पत्रों पर प्राचार्य द्वारा नियुक्त चयन समिति विचार करेगी तथा प्रवेशार्थियों को सूचना पट्ट पर सूचना देकर साक्षात्कार हेतु सूचित किया जाएगा। प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार की तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा बाद में स्वीकार्य नहीं होगा चाहे प्राप्तांक का प्रतिशत उच्च ही क्यों नहीं हो। आपके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार दूसरे प्रवेशार्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा।

5. प्रवेश हेतु स्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। ऐसे छात्र बैंक में शुल्क जमा करके रसीद पर अंकित विषयों के प्राध्यापकों से रसीद पर हस्ताक्षर प्राप्त कर कक्षाओं में नाम लिखायेंगे। नियत तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश-संस्तुति स्वत: निरस्त हो जाएगी।
6. स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश स्थानों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता क्रम में दिया जाएगा।
7. प्राचार्य किसी भी प्रवेश आवेदन-पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकृत कर सकते हैं।
8. गढ़वाल विश्वविद्यालय/श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय/माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार संस्थागत छात्र/छात्रा को कुल देय व्याख्यानों (लेक्चर्स) में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति प्रतिशत कम होने पर छात्र/छात्रा परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जाएगी।
9. प्रवेशार्थी को दो प्रकार के शपथ पत्र भरने होंगे। एक रैगिंग सम्बन्धी और दूसरा 75 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी। उक्त शपथ पत्रों पर अभ्यर्थी के अभिभावक के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
10. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को योग्यता (मेरिट) के आधार पर महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
11. अवांछित एवं अपराधिक कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों एवं अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्र/छात्राओं को प्रवेश देय नहीं होगा।
12. बी.ए. प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी। परन्तु ध्यान रहे कि 39.9 को 40.0 प्रतिशत तथा 34.9 को 35.0 प्रतिशत नहीं माना जाएगा। बी.एस.सी. प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अर्हता 5 प्रतिशत की छूट होगी। परन्तु ध्यान रहे कि 44.9 को 45 प्रतिशत अथवा 39.9 को 40 प्रतिशत नहीं माना जाएगा। एम.एस.सी./एम.ए. में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की बी.एस.सी. एवं बी.ए. परीक्षा में न्यूनतम क्रमश: 45 एवं 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
13. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों की आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1144/क्रमिक-2.2001-53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुमन्य होगी। जो इस प्रकार है- अनुसूचित जाति-19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति-4 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग-14 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमज़ोर-10 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के

प्रवेश में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा- महिलाएँ 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, दिव्यांग 4 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत होंगे।

14. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन की सुविधा रहेगी, जिसमें 1 वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। (यह नियम व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा)। गैप हेतु कुल लब्धांक में से 5 अंक कटेंगे।
15. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) तथा पाँच विषयों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है।
16. संस्थागत छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर अन्य परीक्षा में सम्मिलित होता है/होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी यह परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। उदाहरणार्थ बी.ए. में अध्ययनरत् संस्थागत छात्र/छात्रा पॉलीटेक्नीक/फार्मेसी/आई.टी.आई. आदि की कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। (वि.वि. के एड्-ऑन पाठ्यक्रमों एवं इग्नू द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को छोड़कर)।
17. शासन अथवा विश्वविद्यालय से वर्तमान सत्र हेतु अतिरिक्त प्रवेश नियम प्राप्त होने पर तद्नुसार आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाएगा।
18. सभी कक्षाओं के लिए 90 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के निवासियों के लिए होंगी। उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर इस प्रतिबन्ध के साथ ही प्रवेश मिल सकेगा कि वे वरीयता सूचकांक में अर्ह होंगे।
19. उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में 30 दिनों की छूट के साथ-साथ न्यूनतम निर्धारित अंकों में प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
21. सभी प्रवेशार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र में पिता के साथ-साथ माता का नाम भी लिखना अनिवार्य है।
22. महाविद्यालय का कोई भी छात्र/छात्रा किसी दूसरे छात्र/छात्रा का अभिभावक नहीं बन सकता है।
23. महाविद्यालय किसी प्रवेशार्थी को प्रवेश एवं शिक्षण सम्बन्धी कोई सूचना अलग से देने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रवेशार्थी/विद्यार्थी को संस्था के सूचना पट्ट तथा शिक्षण सम्बन्धी सूचनाएं देखते रहना चाहिए।

24. प्राचार्य को बिना कोई कारण बताए प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है।

25. मिथ्या, भ्रामक एवं अपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र-छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। यदि त्रुटिवश या गलत तथ्यों के आधार पर किसी छात्र/छात्रा को प्रवेश दिया गया हो, तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर इस अनियमित प्रवेश को निरस्त किया जा सकेगा।

26. प्रवेश प्रतिबन्ध:- निम्नलिखित श्रेणी के प्रवेशार्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे-

(अ) एक बार किसी कक्षा में प्रवेश लेने पर किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न होना अथवा अनुत्तीर्ण हो जाना।

(ब) विगत वर्षों में अनुशासन मण्डल/प्राचार्य की दृष्टि में आचरण संतोषजनक न रहना।

(स) अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत दण्डित रहना अथवा कानून द्वारा दण्डित किया जाना।

(द) स्नातक स्तर पर एक कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश लेना।

27. गत वर्ष के महाविद्यालय के संस्थागत छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ विगत परीक्षा के अंक-पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं तीन पासपोर्ट आकार के नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ यथा स्थान संलग्न करना अनिवार्य है।

28. यदि कोई प्रवेशार्थी न्यूनतम अर्हता न होते हुए भी प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो जाँच के उपरान्त उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

29. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र जाली पाए जाते हैं तो उसका प्रवेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा तथा ऐसे प्रवेशार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

30. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को पूर्णत: अनुशासित रहकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिनियमों, अध्यादेशों, विनिमयों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक् पालन करना होगा। वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे एवं रैगिंग में संलिप्त नहीं पाए जायेंगे। उक्त की अवेहलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।

31. प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों के परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।

4. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश

प्रवेश के समय अभ्यर्थी भली-भाँति सोच-समझकर अपनी अभिरूचि के अनुसार निम्न में से स्नातक स्तर पर किन्हीं तीन तथा स्नातकोत्तर स्तर पर किसी एक विषय का नियमानुसार चयन कर सकता है।

(अ) कला संकाय

	स्नातक स्तर		स्नातकोत्तर स्तर	
क्र.सं.	विषय	स्वीकृत सीटें	विषय	स्वीकृत सीटें
01	हिन्दी	80	हिन्दी	25
02	अंग्रेजी	80	अंग्रेजी	25
03	राजनीति विज्ञान	80	राजनीति विज्ञान	-
04	समाजशास्त्र	80	समाजशास्त्र	-
05	अर्थशास्त्र	80	अर्थशास्त्र	-
06	इतिहास	80	इतिहास	-
07	शिक्षाशास्त्र	80	शिक्षाशास्त्र	-

(ब) विज्ञान संकाय

	स्नातक स्तर		स्नातकोत्तर स्तर	
क्र.सं.	विषय	स्वीकृत सीटें	विषय	स्वीकृत सीटें
01	जन्तु विज्ञान	60	जन्तु विज्ञान	20
02	वनस्पति विज्ञान	60	वनस्पति विज्ञान	20
03	रसायन विज्ञान	120	रसायन विज्ञान	20
04	भौतिक विज्ञान	60	भौतिक विज्ञान	-
05	गणित	60	गणित	-

5. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र सत्र 2019-20 से संचालित हो रहा है। संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में प्रवेश न ले पाने वाले प्रवेशार्थी इस अध्ययन केन्द्र (सं. 15030, E-mail-15030@uou.ac.in) के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। वर्तमान में श्री कृष्ण देव रतूड़ी (मो. 9639825252) अध्ययन केन्द्र के संयोजक के रूप में कार्यरत हैं। उक्त अध्ययन केन्द्र में मानविकी (कला संकाय) तथा विज्ञान संकाय के विषयों के साथ स्नातक स्तर पर प्रवेश लिया जा सकता है।

6. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु विशेष रूप से अनुपालनीय नियम
(Special applicable Rules for admission in Graduation/Post Graduation)

1. एक बार चयन किए गए विषय का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
2. प्रत्येक विषय में सीट निर्धारित है। प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्रवेश आवेदन-पत्र अवश्य जमा हो जाने चाहिए। तदुपरान्त उच्चतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश पाने से वंचित रह सकते हैं। अन्तिम तिथि तक प्राप्त प्रवेश आवेदन-पत्रों को योग्यताक्रम (मेरिट) के अनुसार सूचीबद्ध कर प्रवेश हेतु संस्तुत एवं स्वीकृत कर दिए जायेंगे।
3. अभ्यर्थी का प्रवेश स्वीकृत हो जाने के उपरान्त सूचना पट्ट पर सूची चस्पा कर दी जाएगी जिस पर शुल्क जमा करने की तिथि भी अंकित होगी। यदि दी गई तिथि के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं हो पाता है तो प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
4. एंटी रैगिंग एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति सम्बन्धी शपथ पत्रों को भरकर जमा करने के साथ-साथ कार्यान्वित भी करें।
5. प्रवेश पत्र पर संलग्न समस्त प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियाँ स्वप्रमाणित होनी अनिवार्य हैं।
6. प्रवेश की अन्तिम तिथि (शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि) के उपरान्त अविचारित प्रवेश आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझे जाऐंगे।
7. संस्थागत अभ्यर्थी जो कि निर्दिष्ट छात्रवृत्तियों में एक से अधिक छात्रवृत्ति हेतु पात्रता रखते हों, को मात्र एक छात्रवृत्ति ही अनुमन्य होगी।
8. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के अभिभावक (पिता/माता/वास्तविक संरक्षक) का महाविद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। प्राचार्य के समक्ष उपस्थिति हेतु शपथ पत्र पर अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी का प्रवेश स्वीकृत किया जाएगा।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष नियम

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेशार्थ न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं (एम.ए./एम.एस.सी.) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम (बी.ए. 40 प्रतिशत तथा बी.एस.सी. 45 प्रातिशत) प्राप्तांक आवश्यक है। एम.ए. में किसी भी विषय में प्रवेश बी.ए. के किसी एक विषय के आधार पर होगा।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम :-

1.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (समस्त सेमेस्टर) की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ सूचकांक ज्ञात करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2.	आरक्षण शासन के नियमानुसार लागू होगा।
3.	बी.एस.सी. में उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी विषय में एम.ए.प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। प्रयोगात्मक विषय में केवल उसी विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी.एस.सी. अथवा प्रयोगात्मक विषय के साथ बी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो।
4.	सम्पूर्ण स्थान योग्यता सूची (मेरिट) से भरे जायेंगे, जो निम्नांकित सूचकांक (Index) गणना के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ‘ [X/x+y/Y]x100 (यहाँ X= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षो की लिखित परीक्षा (Theorty) के प्राप्तांकों का योग। X = स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग। Y = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षो के प्राप्तांकों का योग। Y = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग। अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक में जोड़ दिया जायेगा।
5.	आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रदेश ले रहा हो से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो 05 अंक एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक हों तो 03 अंक देय होंगे।
6.	महाविद्यालय के नियमित शिक्षकों/श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री, पति-पत्नी) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता-पिता, पति-पत्नी कार्यरत हों को 05 अतिरिक्त अंक देय होंगे।
7.	आरक्षण एवं अधिभार सम्बन्धी नियम स्नातक स्तर की तरह ही लागू होंगे।

नोट : अतिरिक्त अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

7. छात्र गण वेश (Student Dress Code)

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए गणवेश (Dress Code) निर्धारित है। सभी संस्थागत छात्र/छात्राएं ‘कॉलेज यूनिफॉर्म’ धारण कर ही महाविद्यालय परिसर एवं कक्षा में प्रवेश करें। विस्तृत विवरण हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखते रहें।

8. शुल्क एवं उसका भुगतान (Fee and Mode of Payment)

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी से राज्य निधि एवं महाविद्यालय छात्र निधि के अन्तर्गत पूरे सत्र का निर्धारित शुल्क एक किशत में जिला सहकारी बैंक पुरोला में जमा किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा शुल्क प्रति सेमेस्टर अलग से देय होगा।

9. छात्रवृत्ति (Scholarship)

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है, निम्न हैं:-

1. **अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति/ पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति:** माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक न होने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु तथा रु. 1.00 लाख से अधिक न होने पर पिछड़ी जाति हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षो में छात्रवृत्ति शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगी।

   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति का भुगतान बैंक में खोले गए बचत खातों के माध्यम से ही किया जाएगा। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन होगा जिसका सत्यापन महाविद्यालय द्वारा होगा।
2. **भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति:** उक्त छात्रवृत्ति सम्बन्धित जिले के सैनिक एवं पुनर्वास कार्यालय से आवेदन प्राप्त किए जाने पर प्रदत्त होती है।
3. **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या आश्रितों के लिए है। इसके लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर शैक्षणिक सत्र के 10 अगस्त तक प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया जाना आवश्यक है।
4. **दिव्यांग छात्रवृत्ति:** दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर सभी दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग से देय होगा।
5. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट परीक्षा के आधार पर दी जाती है, स्नातक स्तर पर रु. 75.00 प्रतिमाह है।

   छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु आवश्यक प्रगति आख्या भरकर प्राचार्य से प्रमाणित कराकर अंक पत्र जिसमें 50 प्रतिशत से कम अंक न हों, के साथ 31 जुलाई तक उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी को प्रेषित किया जाता है।
6. **इंस्पायर छात्रवृत्ति:** इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले एक प्रतिशत छात्र/छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
7. **स्व. पंडित शिवशरण तिवारी स्मृति छात्रवृत्ति:** यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष महाविद्यालय के दो उन

विद्यार्थियों (एक छात्र एवं छात्रा) को प्रदान की जाएगी, जिन्होंने तृतीय वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों। इस छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रु. 2000/- की धनराशि प्रति छात्र-छात्रा को प्रदान की जाएगी।

8. **निर्धन विद्यार्थी सहायकता कोष (Poor Student's Fund):** ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राएं जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायकता या शुल्क सहायता न मिल पाई हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद् के पास इस कोष से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

शासनादेश सं. 2097/XVII-4/2014 दिनांक 14 नवम्बर, 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों को त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 से 'ऑन लाईन' छात्रवृत्ति की योजना लागू कर दी गई है। जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट www.scholarship.uk.gov.in पर छात्र/छात्राओं को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को उसके भविष्य के लिए अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूज़र आई.डी. एवं पासवर्ड एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। इस प्राप्त हुए यूज़र आई.डी. से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, CBS बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज़ हो, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। सम्बन्धित छात्र द्वारा ऑनलाइन फीड किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर सभी दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। छात्र अपने भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने सन्दर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेज़ों की गलत जानकारी देने अथवा फर्ज़ी पाए जाने पर उसके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्यवाही की जाएगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र सॉफ्टवेयर में फीड नहीं किए जा सकेंगे।

नोट: उक्त सभी छात्रवृत्तियाँ एवं छात्रवृत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय हैं।

10. उपस्थिति नियम (Rules of Attendance)

शासनादेश संख्या 528(1)15-(उ.शि.)71/97 दिनांक 11 जून, 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है। निम्नलिखत स्थिति में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है-

(अ) विद्यार्थी की लम्बी और गंभीर बीमारे के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अंदर विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष स्थिति में समुचित कारण देने पर।

(स) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन भर दिया जाएगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।
नोट: प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स–रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किए जाऐंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पाऐंगे। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थियों को देना होगा। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जाता है।

11. महाविद्यालय पुस्तकालय (College Library)

महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में लगभग 11000 पाठ्य पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रात: 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहता है। छात्र/छात्राओं को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए नियमानुसार तिथि निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिवसों में पुस्तकें निर्गत की जाती हैं।

1. सन्दर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी।
2. पुस्तकों को सुरक्षित दशा में रखने की पूर्ण ज़िम्मेदारी पुस्तक लेने वाले छात्र/छात्रा की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाए, खो जाए अथवा किसी भाँति नष्ट हो जाए तो पुस्तकधारी छात्र/छात्रा को नई पुस्तक लौटानी होगी अथवा उसके मूल्य का डेढ़ गुना धनराशि जमा करनी होगी।
3. परीक्षा से पूर्व पुस्तकों को लौटाना अनिवार्य है। नियत तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।
4. महाविद्यालय में ई.–पुस्तकालय का कार्य गतिमान है।

12. वाचनालय (Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिए दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं पढ़ने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को आह्वान किया जाता है कि कक्षाओं में अध्ययन के इतर समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

13. महाविद्यालय पत्रिका (College Magazine)

महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्र/छात्राएं अपनी स्व-निर्मित रचनाओं को प्रकाशन हेतु पत्रिका के सम्पादक मण्डल को हस्तगत करें। साथ ही सम्पादक मण्डल से रचना-लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लें। सम्पादक मण्डल द्वारा चयनित उत्कृष्ट लेखों को प्रकाशित किया जाएगा।

14. कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेन्ट सेल (Career Counselling and Placement Cell)

वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के दौर में विद्यार्थियों में दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने तथा रोज़गारपरक सूचनाएँ प्रदान करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक कैरियर काउन्सलिंग सेल की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न रोज़गारपरक सूचनायें तथा उचित काउन्सलिंग कर स्वावलम्बन हेतु अभिप्रेरित किया जाता है। कैरियर काउन्सलिंग सेल के द्वारा समय-समय पर कैरियर सम्बन्धी कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इच्छुक विद्यार्थी इस कैरियर काउन्सलिंग सेल में अन्य दिनों में भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को कक्षाएँ संचालित की जाती हैं।

15. कम्प्यूटर/इण्टरनेट सेल (Computer/Inernet Cell)

महाविद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर और 4G इण्टरनेट ब्रॉडबैण्ड की सुविधा उपलब्ध है। अलग-अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित होकर छात्र/छात्रा मूलभूत कम्प्यूटर साक्षरता तथा इण्टरनेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र/छात्राएँ महाविद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास के माध्यम से नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के साथ ज्ञानार्जन कर सकते हैं।

16. पूर्व छात्र परिषद् (Alumni Association)

महाविद्यालय के विकास में भूतपूर्व छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित् करने के लिए महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद् गठित की जा चुकी है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहन/अभिभावक अथवा सम्बन्धी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों तो उनकी सूचना महाविद्यालय को उपलब्ध करायें एवं इसके लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र

पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा करें। इस परिषद् में प्राचार्य अध्यक्ष, वरिष्ठतम् प्राध्यापक सचिव तथा भूतपूर्व छात्रों में से उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाता है। पूर्व छात्र परिषद् की बैठकें समय-समय पर सम्पादित की जाती हैं।

17. अभिभावक-शिक्षक परिषद् (Parent & Teacher Association)

महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय में अभिभावक-शिक्षक परिषद् गठित की जाती है। इस परिषद् में प्राचार्य अध्यक्ष, वरिष्ठतम् प्राध्यापक सचिव तथा अभिभावकों में से उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाता है। अभिभावक-शिक्षक परिषद् की बैठकें समय-समय पर सम्पादित की जाती हैं।

18. महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ (Women Cell)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख-रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

19. अनुशासन एवं शास्ता मण्डल (Discipline and Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु शास्ता सदस्य होते हैं। महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय के अलग-अलग शास्ता प्रमुख होते हैं। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छान-बीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

महाविद्यालय के शास्ता मण्डल द्वारा निम्नलिखित कृत्यों आदि में संलिप्त पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का वचन एवं कर्म द्वारा अनादर करना।
2. महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं अनादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इंकार करना।
10. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
11. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाज़ों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन/इश्तहार लगाना।
12. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना/क्षति पहुँचाने का प्रयास करना।
13. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
14. कक्षाओं में च्युइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन का प्रयोग करना।
15. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र माँगने पर इन्कार करना।
16. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलंबित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

20. अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम (Discipline Akin Important Rules)

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है, जिसे परिसर में कभी भी माँगा जा सकता है। परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय पत्र मुख्य शास्ता/कार्यालय से प्राप्त कर लें।
2. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग (किसी भी रूप में) पूर्णतय: प्रतिबन्धित है। रैगिंग में संलिप्तता की दशा में कठोरतम कार्यवाही, भारी जुर्माना तथा न्यायालय में मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
3. जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है, उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जाएगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वत: एवं तथ्यत: निष्कासित हो जाएगा।
5. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

21. रैगिंग–एक कानूनी अपराध (Ragging- A Legal Offence)

माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या 310/04/एस.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 को दृष्टिगत रखते हुए यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम, राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एण्टी रैगिंग निरोधक समिति एवं एन्टी रैगिंग निरोधक दस्ता गठित है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से नज़र रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोर कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी प्रदान करती है। रैगिंग में संलिप्त होने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

22. पाठ्य– सहगामी क्रियाकलाप

(अ) राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

"मैं नहीं परन्तु आप" (Not Me, But You) की भावना पर आधारित राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं जैसे- शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान, बाढ़, भूकम्प,

सूखा इत्यादि) के लिए कार्यक्रम, पर्यावरण को समृद्ध बनाना तथा उसकी सुरक्षा करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम।

वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो ईकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत् 200 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घण्टे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक 07 दिवसीय विशेष शिविर ("ए" प्रमाण पत्र) एवं 05 एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षाएँ भी आयोजित होती हैं, जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोज़गार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान्य प्रदान किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जाता है।

(ब) रोवर्स-रेंजर्स (Rovers-Rangers)

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता एवं सेवाभाव विकसित करने के लिए भारत स्काउट-गाइड, उत्तराखण्ड संगठन के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर्स-रेंजर्स की इकाई स्थापित है। इसके तहत् समय-समय पर स्थानीय प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। इसके तहत् राष्ट्रपति पदक, उप-राष्ट्रपति पदक प्रमाण पत्र सहित प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित हैं।

(स) क्रीड़ा एवं खेलकूद (Sports and Games)

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर उन्हें विभिन्न अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद के अन्तर्गत एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, वॉलीबॉल एवं शतरंज की सुविधा उपलब्ध है।

(द) छात्रसंघ (Student Union)

छात्रसंघ चुनाव माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश संख्या S.L.P.(Civil)No.

24295/2004 दिनांक 26.06.2004 जो भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV(6)2007-3(168)/2001 दिनांक 27.02.2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व-वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर सम्पन्न कराए जाऐंगे।

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से 6 सप्ताह के अन्तर्गत संस्थागत स्तर पर छात्र संघ चुनाव करवाया जाना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17 से 22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचित होने पर केवल 1 बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने पर 2 बार चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात प्राचार्य द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।

चुनाव आचार संहिता, आयु-सीमा एवं व्यवस्थायें लिंग दोह समिति/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होगी। साथ ही छात्रसंघ आचार संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।

(य) सांस्कृतिक परिषद् (Cultural Council)

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं संवर्द्धन करने तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक-साहित्यिक आयोजनों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता, सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद् गठित है। इच्छुक छात्र/छात्राएं सांस्कृतिक क्लब की सदस्यता अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

(र) विभागीय परिषदें (Departmental Council's)

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी विभागीय परिषदों का गठन करेंगे। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ-साथ भ्रमण आदि का आयोजन करेंगे। अन्तर्विभागीय प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं।

23. अन्य नियम

(अ) प्रतिभूति राशि (Security Money)

महाविद्यालय छोड़ने पर प्रतिभूति राशि की वापसी छात्र द्वारा पूरित अदेय प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर अक्टूबर माह से लौटाई जाती है। छात्र द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जाएगी, तदुपरान्त वह जब्त समझी जाएगी।

(ब) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना आवश्यक है। महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (स्थाई चरित्र प्रमाण पत्र सहित) देय होगा।

(स) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

संस्थागत छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के उपरान्त मुख्य नियन्ता की संस्तुति के पश्चात् दिया जाता है। यदि किसी छात्र को चरित्र प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति की आवश्यकता हो, तो वह 06 महीने के अन्तराल पर ही निर्गत किया जा सकता है। अत: छात्रों को चरित्र प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपियों को प्रयोग करना चाहिए।

(द) परिचय पत्र (Identity Card)

प्रत्येक छात्र-छात्रा महाविद्यालय से निर्गत परिचय पत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में हर समय छात्र के पास परिचय पत्र उपलब्ध रहना चाहिए। परिचय पत्र खोने की अवस्था में शपथ पत्र (कोर्ट द्वारा) एवं अदेय प्रमाण पत्र (पुस्तकालय एवं कार्यालय) प्रस्तुत करने पर ही 50 रु. शुल्क जमा करने के पश्चात् दूसरा परिचय पत्र बनाया जाएगा। अपना परिचय पत्र किसी अन्य छात्र/छात्रा को देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(य) शुल्क रसीद (Fee-Receipt)

छात्र-छात्रा को प्रवेश के पश्चात् सम्पूर्ण सत्र तक अपनी फीस की रसीद को सँभाल कर रखना अनिवार्य होगा। शुल्क रसीद खोने पर इसकी द्वितीय प्रमाणित छायाप्रति रु. 50 शुल्क जमा करने के पश्चात् प्राचार्य से प्रमाणित कर देय होगी।

(र) महाविद्यालय विविध-आवेदन पत्र (Miscellaneous Application Forms)

महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र आदि नियत समय पर छात्र/छात्रा के द्वारा स्वयं देने पर ही स्वीकार किए जायेंगे और मान्य होंगे।

इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन, संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा। नये शासनादेश के प्राप्त होने पर भी तद्नुसार नियमों/निर्देशों में संशोधन कर दिए जायेंगे।

वार्षिक शुल्क विवरण (Annual Fee Details)

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक संख्या-डिग्री सेवा/नि.का./4751-4850/2017-18 (P.S.) दिनांक 24 जून, 2017 के अनुपालन में छात्र/छात्रा शुल्क में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में निर्धारित विभिन्न मदों में शुल्क का निर्धारण निम्नवत् है-

अ. कोषागार निधियाँ (स्नातक)

क्र.सं.	निधि का नाम	शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	₹. 3.00
2.	महंगाई शुल्क (डी.ए.)	₹. 240.00
3.	विकास शुल्क	₹. 20.00
4.	पुस्तकालय शुल्क	₹. 3.00
5.	प्रयोगशाला शुल्क	₹. 240.00
6.	पंखा शुल्क	₹. 5.00
	योग	**₹. 511.00**

ब. कोषागार निधियाँ (स्नातकोत्तर)

क्र.सं.	निधि का नाम	शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	₹. 3.00
2.	शिक्षण शुल्क	₹. 180.00
3.	महंगाई शुल्क (डी.ए.)	₹. 240.00
4.	विकास शुल्क	₹. 20.00
5.	पुस्तकालय शुल्क	₹. 10.00
6.	प्रयोगशाला शुल्क	₹. 240.00
7.	पंखा शुल्क	₹. 5.00
	योग	**₹. 698.00**

स. महाविद्यालय छात्र निधियाँ

क्र.सं.	निधि का नाम	शुल्क
1.	क्रीड़ा शुल्क	₹. 200.00
2.	वाचनालय शुल्क	₹. 30.00
3.	पत्रिका शुल्क	₹. 50.00
4.	परिचय पत्र शुल्क	₹. 30.00
5.	विभागीय परिषद् शुल्क	₹. 50.00
6.	सांस्कृतिक क्रिया-कलाप शुल्क	₹. 100.00
7.	महाविद्यालय दिवस शुल्क	₹. 20.00
8.	छात्र संघ शुल्क	₹. 100.00
9.	कैरियर-काउन्सलिंग शुल्क	₹. 50.00
10.	रोवर्स-रेंजर्स शुल्क	₹. 60.00
11.	विद्युत/जलकर/मरम्मत शुल्क	₹. 60.00
12.	कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा शुल्क	₹. 70.00
13.	शिक्षक-अभिभावक परिषद् कोष शुल्क	₹. 30.00
14.	महाविद्यालय विकास	₹. 160.00
15.	प्रयोगात्मक सामग्री शुल्क	₹. 60.00
16.	भवन/मरम्मत/विविध शुल्क	₹. 100.00
17.	आन्तरिक परीक्षा शुल्क (केवल सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु)	₹. 100.00
18.	सौन्दर्यीकरण शुल्क	₹. 20.00
19.	स्वच्छता प्रसाधन शुल्क	₹. 50.00
	योग	**₹. 1340.00**

कुल वार्षिक शुल्क का योग- एक हज़ार तीन सौ चालीस (₹. 1340) मात्र।

नोट-शुल्क का विवरण तथा जमा करने की तिथियाँ समय-समय पर महाविद्यालय सूचना पट्ट पर अधिसूचित की जाएगी। शुल्क के सम्बन्ध में नवीनतम आदेश ही मान्य होंगे।

कार्यालय प्राचार्य ब.ला.जु. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)
शुल्क विवरण 2022–23

स्नातक कला संकाय का शुल्क विवरण

क्र.सं.	कक्षा	प्रयोगात्मक (Practical)	बिना प्रयोगात्मक (Non Practical)
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष/सेमेस्टर	1751	1451
2.	बी.ए. द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर	1751	1451
3.	बी.ए. तृतीय वर्ष/सेमेस्टर	1751	1451

स्नातक विज्ञान संकाय का शुल्क विवरण

क्र.सं.	कक्षा	प्रयोगात्मक (Practical)	बिना प्रयोगात्मक (Non Practical)
1.	बी.एस.सी. प्रथम वर्ष/सेमे.	1751	–
2.	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष/सेमे.	1751	–
3.	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष/सेमे.	1751	–

स्नातकोत्तर विज्ञान/कला संकाय का शुल्क विवरण

क्र.सं.	कक्षा	प्रयोगात्मक (Practical)	बिना प्रयोगात्मक (Non Practical)
1.	एम.एस.सी. Ist & IInd सेमेस्टर	2038	–
2.	एम.एस.सी. IIIrd & IVth सेमेस्टर	2038	–
3.	एम.ए. Ist & IInd सेमेस्टर	2038	1738
4.	एम.ए. IIIrd & IVth सेमेस्टर	2038	1738

नोटः- (i) स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं से उपर्युक्त उल्लिखित शुल्क रु. 100/- (आन्तरिक परीक्षा शुल्क) भी लिया जायेगा।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य– डॉ. ए.के. तिवारी

कला संकाय

विभाग तथा प्राध्यापक वर्ग

क्र.सं.	विभाग	प्राध्यापक
1.	हिन्दी	(i) डॉ. यमुना प्रसाद रतूड़ी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी (ii)श्री नरेश शाह (गेस्ट प्रवक्ता) (iii)श्री शीशपाल सिंह चौहान (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)
2.	अंग्रेज़ी	(i) फातिमा खान (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी (ii)श्री राजीव प्रसाद नौटियाल (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता) (iii)डॉ. पूजा रावत (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)
3.	समाजशास्त्र	डॉ. तबस्सुम जहाँ (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी
4.	राजनीति विज्ञान	श्री विनोद कुमार (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी
5.	अर्थशास्त्र	श्री राजेन्द्र लाल आर्य (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी
6.	शिक्षाशास्त्र	गौहर फातिमा (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी
7.	इतिहास	श्री कृष्णदेव रतूड़ी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी

विज्ञान संकाय

विभाग तथा प्राध्यापक वर्ग

क्र.सं.	विभाग	प्राध्यापक
1.	भौतिक विज्ञान	डॉ. गणेश प्रसाद (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी
2.	रसायन विज्ञान	(i)श्री भूपाल सिंह कार्की (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी (ii)असिस्टेन्ट प्रोफेसर–रिक्त पद–01
3.	गणित	श्री दीपक सिंह (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी
4.	वनस्पति विज्ञान	(i) डॉ. विशम्बर जोशी (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी (ii) डॉ. विनय प्रकाश नौटियाल (संविदा प्रवक्ता)
5.	जन्तु विज्ञान	(i) कु. प्रियंका मीरवाल (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विभाग प्रभारी (ii) डॉ. प्रियंका (नितान्त अस्थाई प्रवक्ता)

कर्मचारी वर्ग

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री हरीश चन्द्र बिजल्वाण	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय
2.	श्री जगन्नाथ सिंह असवाल	प्रयोगशाला सहायक	वनस्पति विज्ञान
3.	श्री प्रताप सिंह	प्रयोगशाला सहायक	रसायन विज्ञान
4.	श्री मनवीर सिंह रावत	प्रयोगशाला सहायक	जन्तु विज्ञान
5.	श्री कुन्दन सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक (उपनल)	पुस्तकालय
6.	श्री अष्टम सिंह	प्रयोगशाला परिचारक (उपनल)	भौतिक विज्ञान
7.	श्रीमती सरोज	प्रयोगशाला परिचारिका (उपनल)	जन्तु विज्ञान
8.	श्रीमती ललिता	प्रयोगशाला परिचारिका (उपनल)	रसायन विज्ञान
9.	श्री रमेश लाल	कार्यालय अनुसेवक (उपनल)	कार्यालय
10.	श्री सुमन सिंह चौहान	कार्यालय अनुसेवक/रात्रि चौकीदार(उपनल)	कार्यालय
11.	श्री प्रहलाद	स्वच्छक/चौकीदार (उपनल)	कार्यालय
12.	रिक्त पद-01	प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय
13.	रिक्त पद-01	प्रयोगशाला सहायक	भौतिक विज्ञान
14.	रिक्त पद-01	प्रयोगशाला सहायक	रसायन विज्ञान
15.	रिक्त पद-01	प्रयोगशाला परिचारक	

महाविद्यालय रसीद सं./ प्रवेश क्रमांक [ ] क्रमांक संख्या ....

बर्फिया लाल जुवांठा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)

शास्ता कार्ड

नवीनतम पार्सपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा करे

1. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)..
   अंग्रेज़ी में (Block Letters)..
2. पिता का नाम................................माता का नाम........................व्यवसाय...............
3. कक्षा......................... 4. जन्मतिथि....................... 5. जाति वर्ग..........................
6. विषय (1)................................(2).......................................(3).......................................
7. स्थाई पता..
8. पत्र व्यवहार का पता..

मैं (विद्यार्थी का नाम)... पुत्र/पुत्री श्री ....

शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा/करूँगी जिससे महाविद्यालय का अनुशासन भंग होता हो। यदि मैं अपने किसी भी कार्यकलाप से महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दोषी पाया जाता/पायी जाती हूँ तो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदत्त दण्ड (निलम्बन/निष्कासन) मुझे स्वीकार होगा।

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक	हस्ताक्षर प्रवेशार्थी
मो.नं./whatsapp No.	मो.नं.whatsapp No.

हस्ताक्षर/दिनांक	हस्ताक्षर/दिनांक	हस्ताक्षर/दिनांक
संयोजक प्रवेश समिति	मुख्य शास्ता	प्रार्चा

बर्फिया लाल जुवांठा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चस्पा करे

क्र०सं० ....

प्रवेश आवेदन–पत्र, 20.......20......

1. कक्षा का नाम जिसमें प्रवेशार्थी प्रवेश लेना चाहता है– [ ]
2. विषय जिसमें प्रवेशार्थी प्रवेश लेना चाहता है–
   1.[ ] 2.[ ] 3.[ ] 4.[ ]
3. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)..
   (हाई स्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार)
   अंग्रेज़ी में (Block Letters)..
   आधार नं. (Aadhar No.) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
   ई–मेल (E-mail)..
4. पिता का नाम..माता का नाम..
5. प्रवेशार्थी की जन्मतिथि– तिथि [ ][ ] माह [ ][ ] वर्ष [ ][ ][ ][ ]
6. लिंग.. लिखें (पुरुष/महिला) 7. धर्म..
8. श्रेणी (अ) सामान्य वर्ग [ ] (ब) पिछड़ी जाति [ ] (स) अनुसूचित जाति [ ] (द) अनुसूचित जनजाति [ ]
   (य) आर्थिक रूप से कमज़ोर [ ]
   (आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. सैनिक आश्रित:– कार्यरत/भूतपूर्व/शहीद/अर्द्धसैनिक बल/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी [ ]
10. क्या आप दिव्यांग हैं ? (सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)..
11. राष्ट्रीयता (अ) भारतीय [ ] (ब) विदेशी [ ] देश का नाम [ ]
12. वैवाहिक स्थिति– विवाहित [ ] अविवाहित [ ] 13. उत्तराखण्ड में निवास की अवधि..
14. स्थाई पता..
    जनपद..................... पिन कोड [ ][ ][ ][ ][ ][ ] फोन नं. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Whatsapp No.
15. स्थानीय संरक्षक का नाम व पता..
    जनपद..................... पिन कोड [ ][ ][ ][ ][ ][ ] फोन नं. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    Whatsapp No.
16. शैक्षिक विवरण (आरक्षण प्रमाण पत्रों संबंधी अंक पत्रों प्रवेश आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक की छाया प्रति आव्रजन प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण तथा चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

परीक्षा	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ अधिकतम अंक	श्रेणी	प्रतिशत	बोर्ड/वि.वि. का नाम
हाई स्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक I/II/III						
स्नातकोत्तर I/II सेमे.						
अन्य						

- -

प्रवेश आवेदन–पत्र प्राप्ति रसीद

प्रवेशार्थी का नाम– **आवेदन क्रमांक**

पिता का नाम

कक्षा–

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

(महाविद्यालय की मुहर)

कृ.पृ.उ

17. अन्तिम शिक्षण संस्था का नाम ____________

18. विश्वविद्यालय नामांकन संख्या यदि कोई हो ____________

परीक्षा का नाम ________ वर्ष ________ अनुक्रमांक ________ प्रतिशत ________

19. शैक्षणेत्तर क्रियाकलापों का विवरण जिसमें प्रवेशार्थी ने भाग लिया है। (सही का निशान लगाऐं)

खेलकूद	एन.एस.एस.	एन.सी.सी.	स्काउट/रोवर्स–रेंजर्स
☐ राष्ट्रीय ☐ नॉर्थ ज़ोन	☐ A सर्टिफिकेट ☐ B सर्टिफिकेट	☐ B सर्टिफिकेट ☐ R.D. परेड	☐ G1 ☐ G2 ☐ Dhruvpad
☐ राज्य स्तर ☐ वि.वि. स्तर	☐ C सर्टिफिकेट ☐ R.D. परेड	☐ C सर्टिफिकेट	☐ Gurupad ☐ रोवर–रेंजर

20. महाविद्यालय में कार्यरत हाँ ☐ नहीं ☐ शिक्षक/कर्मचारी के आश्रित (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री)

प्रवेशार्थी द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रवेश विवरणिका में दिए गए समस्त नियम एवं निर्देशों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनका सम्यक पालन करूँगा/करूँगी। मैं अपनी कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की दशा में मुझे विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रैगिंग सम्बन्धी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं रहूँगा/रहूँगी। तदविषयक विषय समस्त दण्डात्मक कार्यवाही की मुझे पूर्ण जानकारी है।

दिनांक प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

पिता/माता/संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं ....विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पाल्य..................................को महाविद्यालय में प्रवेश मिलने पर वह महाविद्यालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नियमित अध्ययनरत रहेगा तथा अनुशासनहीनता की दशा में उसे महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए दण्ड मुझे मान्य होगा।

दिनांक पिता/माता/संरक्षक के हस्ताक्षर

नाम..

पता..

साक्षात्कार के समय उपस्थित हुए प्रवेश हेतु संस्तुत/संस्तुत नहीं प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर संयोजक प्रवेश समिति हस्ताक्षर प्राचार्य

दिनांक................

कार्यालय प्रयोग हेतु

समस्त देय धनराशि रु. ....रसीद सं...........................दिनांक.......................

द्वारा प्राप्त की तथा महाविद्यालय पंजीकरण सं...पर प्रविष्टि की।

हस्ताक्षर शुल्क लिपिक

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I,..(full name of student with Institute Roll Number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms..., having been admitted to ....(name of the institution), have received or downloaded a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

1) I have, in particular, persued clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
2) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
3) I hereby solemnly aver and undertake that
a) I will not indulge in any behaviour or act that may constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
4) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
5) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
6) Along with the above mentioned points I do hereby declare that
a) I will obey the code of conduct of the institute and do not indulge in any kind of in-disciplined activity while in and off the institution campus.
b) I will be solely responsible for any kind of accident/mishap caused on account of the above mentioned clause (6.a)

Declared this...................day of........................month of..........................year.

....
Signature of deponent
Name:............................

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at..........................(place) on this the.....................(day) of.................(month), ...(year).

....
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ....(day) of...................(month), ...(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMISSIONER

Note: It is mandatory to submit this affidavit in the above format, if you desire to register for the forth coming academic session.

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms..(full name of parent/guardian) father/mother/guardan of, (full name of student with University Roll Number), having been admitted to..(name of the institution), have received or downloaded a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

1) I have, in particular, persued clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
2) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case my ward found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
3) I hereby solemnly aver and undertake that
a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
4) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.
5) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.
6) Along with the above mentioned points I do hereby declare that
a) My ward will obey the code of conduct of the institute and do not indulge in any kind of in-disciplined activity while in and off the institution campus.
b) My ward will be solely responsible for any kind of accident/mishap caused on account of the above mentioned clause (6.a)

Declared this...................day of.......................month of..........................year.

....
Signature of deponent

Name:
Address
Telephone/Mobile No.

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at.........................(place) on this the.....................(day) of.................(month), ...(year).

....
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the ....(day) of...................(month), ...(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMISSIONER

Note: It is mandatory to submit this affidavit in the above format, if you desire to register for the forth coming academic session.

छात्र-छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1. समय-समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र-छात्राएँ सूचना पट्ट पर अंकित सूचनाएँ नियमित रूप से पढ़ें। छात्र/छात्राएं सूचना पट्ट पर लगी सूचनाओं को कदापि न फाड़ें अन्यथा दण्ड के भागी बन सकते हैं।
2. छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे तथा महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर सम्भव सहयोग देंगे।
3. छात्र-छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्रिया-कलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।
4. प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य शास्ता से सम्पर्क कर अपना परिचय-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से विद्यार्थी अपना परिचय पत्र साथ में रखें अन्यथा महाविद्यालय परिसर व कक्षाओं से वंचित किया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र निर्धारित उपस्थिति एवं शुल्क भुगतान किए जाने की दशा में ही अग्रसारित किया जाएगा।
6. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी धन जमा किया जाए उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र-छात्राएं स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।
7. शैक्षणिक कैलेण्डर प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय-सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
8. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखवाना छात्र-छात्रा की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी।
9. महाविद्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा गैर इरादतन की गई किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।
10. स्नातक प्रथम वर्ष/सेसेस्टर में प्रवेश लेने के तुरन्त बाद एन.एस.एस. अथवा रोवर्स-रेंजर्स में पंजीयन हेतु तत्सम्बन्धी अधिकारियों से सम्पर्क करें।
11. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे अपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।
12. छात्र-छात्राओं की प्रवेशित विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
13. निर्धन एवं मेधावी छात्र-छात्राएं शुल्क मुक्ति एवं आर्थिक सहायता हेतु संयोजक छात्र कल्याण से सम्पर्क करें।

नोटः महाविद्यालय में कार्यालय से निम्नलिखित प्रपत्र आवश्यकतानुसार नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं।

(1) अदेय प्रमाण-पत्र

(2) टी.सी. हेतु आवेन-पत्र

(3) छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र

(4) राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स-रेंजर्स आवेदन-पत्र

(5) चरित्र प्रमाण-पत्र

हमारी सन्दृष्टि (Our Vision)

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों के बीच उत्कृष्ट शिक्षा, मूल्य प्रणाली, रचनात्मकता तथा वैश्विक क्षमता की खोज के साथ उनके सर्वाङ्गीण विकास का समाज कल्याण के निमित्त संधान करना।

- छात्रों को अधिक रचनात्मक, अभिनव, प्रयोगशील व प्रगतिशील बनाने के लिए मदद करना जिसमें वे उत्कृष्ट बन सकें।
- उच्च शिक्षा प्रदान करने में परम्परागत विधियों के साथ सूचना एवं संचार तकनीकी (ICT), दूरस्थ शिक्षा (ODL) एवं मुक्त शैक्षिक स्त्रोतों (MOOCS) के उपयोग को बढ़ावा देना।
- पुरोला शहर व ग्रामीण अंचलों में सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के नामांकन दर में वृद्धि हेतु प्रयास करना जिससे वे अपना शैक्षिक उन्नयन कर सके।
- गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं में विकास हो उनमें आत्मचिन्तन, आत्मनिष्ठा, सद्भाव आत्मविश्वास निर्णय लेने तथा कुशल नेतृत्व प्रदान करने जैसी योग्यताएँ विकसित हों।
- उच्च शिक्षा को प्रासंगिक बनाते हुए समाज, राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी विकास में उसकी भूमिका सुनिश्चित करना।
- शिक्षा में गुणात्मकता की दृष्टि से शोध सम्बन्धी मापदण्डों व विचारधारा को छात्र-छात्राओं के मध्य विकसित करना एवं इस विचारधारा को सुगम बनाना।
- देश की सर्वोच्च सेवाओं हेतु विद्यार्थियों को मानसिक व शैक्षिक रूप से तैयार करना।